

**MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE
ON OFFICIAL LANGUAGE**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह सभा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को राजभाषा समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENTS BY MINISTERS

**Status of Implementation of Recommendations contained in the Two Hundred and
Twelfth Report of Department-related Parliamentary Standing
Committee on Home Affairs**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I lay a statement regarding Status of implementation of recommendations contained in the Two Hundred and Twelfth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Two Hundred and Fourth Report of the Committee on 'Administration and Development of Union Territory of Lakshadweep'.

**Status of Implementation of Recommendations/Observations contained in the Two
Hundred and Fourteenth, Two Hundred and Fifteenth and Two Hundred and
Seventeenth Reports of Department-related Parliamentary Standing
Committee on Home Affairs**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ-

- (i) "सीमा की रक्षा करने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स) की कार्य दशाएं" के संबंध में विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के दो सौ चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (ii) "गैर-सीमा प्रहरी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद) की कार्य दशाएं" के संबंध में विभाग-